संख्या:1069/2019/25-8-2019-17(52)/2011

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव
एवं विशेष सचिव।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019

विषयः आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जॉच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दिये जाने के विषय में समय-सीमा का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2764/25-8-95- 39-11-70, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 द्वारा आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जॉचों में आपराधिक कृत्यों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन से सम्बन्धित विभागों अर्थात् प्रशासकीय विभागों से अभियोजन की शासकीय स्वीकृति काफी विलम्ब से मिलने के कारण शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि जब ई0ओ0डब्लू0 की अन्तिम आख्या शासन के सम्बन्धित विभागों को प्राप्त होने की तिथि के बाद से अधिकतम 06 माह के अन्दर आपराधिक कृत्यों हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की शासकीय स्वीकृति शासन व उसके सम्बन्धित विभागों द्वारा अवश्य निर्गत कर दी जाए।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-482/25-8-2015-39(11)70, दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-6 में आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जॉच/विवेचना आख्या में दोषी पाए गए लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासकीय विभागों को 03 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

3- अतः शासनादेश संख्या-2764/25-8-95-39/11/70, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 को निरस्त समझा जाए और शासनादेश संख्या-482/25-8-2015-39(11)/70, दिनांक 23 जून, 2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः1069/2019/(1)/25-8-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(6) शासन के समस्त निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
(7) राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) पुलिस अपर महानिदेशक, अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसन्धान संगठन, उ0प्र0, पंचम तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(9) पुलिस महानिरीक्षक, ई0ओ0डब्लू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।